

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 114/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बिजेश्वर यादव वगैरह ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

बालेश्वर यादव वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

15-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन तथा थाना प्रभारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर दिनांक 16.08.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने तथा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- कुदर, थाना नं0- 10, खाता नं0- 123, प्लॉट नं0- 94, रकबा- 85 डी0 भूमि
चौहद्दी : उ0- टांड डीलो महतो, द0- गैनी महतो, पू0- रास्ता, प0- शनाथ महतो वो सीमाना पीपराटांड
हाल चौहद्दी : उ0- महादेव महतो, द0- गैनी महतो, पू0- रास्ता, प0- शनाथ महतो वो सीमाना पीपराटांड

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

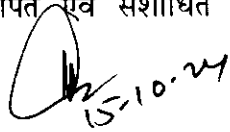
प्रथम पक्ष का कहना है कि उन्हें भूमि सर्वे खतियान से हासिल है। वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष के पूर्वज चुरो महतो वो डोमन महतो का दखल कब्जा रहा है तथा उन्हीं के द्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार सं0- 03 के पास एग्रीमेन्ट के जरिए बिक्री किया गया है। अंचल कार्यालय बगोदर के मांग-II भाग सं0 02 पृष्ठ सं0 116 पर नवाब महतो वगैरह के नाम से जमाबन्दी कायम है तथा वर्ष 2024-25 तक रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष जबरन कब्जा करने के नीयत से जोत-कोड़ किए अतः विवाद उत्पन्न हुआ।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि सर्वे खतियान से प्राप्त है। प्रथम पक्ष गलत वंशावली बनाकर द्वितीय पक्ष के जमीन को हड़पना चाहते हैं।

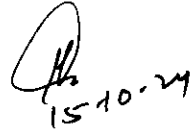
उपरोक्त कारण पृच्छा तथा दस्तावेजों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तुत वाद में जमीन से जुड़े दस्तावेजों के सुक्ष्म विश्लेषण के अलावे, अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन तथा अन्य साक्ष्य आवश्यक है। दखल कब्जा का निर्धारण भी इस वाद का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। चूँकि भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत सीमित समयावधि में उपरोक्त विश्लेषण / विवेचन संभव नहीं है अतः वाद को भा०ना०सु०सं० की धारा 164 में परिवर्तित करने के प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

उभय पक्ष को भा०ना०सु०सं० की धारा 164 के तहत नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु28.11.25..... को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया